कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक–3778/12–1, दिनांक: मसूरी, 1/5/2018।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:– **जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.00 किमी0) के निर्माण हेतु 5.3025 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।**

सन्दर्भ :– आनलाईन प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/23731/2017, आपका ई0डी0एस0 पत्र दिनांक 18, मार्च 2018

महोदय,

प्रस्तावक / अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल) द्वारा अपने पत्र सं0 373/21सी0 दिनांक 01–03–2018 (प्रति संलग्न) से जनपद–टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लाक के अन्तर्गत मसराना–किमोई मोटर मार्ग (कुल लम्बाई–8.00 किमी0) के निर्माण हेतु 5.3025 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड़ को प्रत्यावर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रभाग स्तर से जॉच /परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विषयांकित प्रस्ताव की एक हार्ड प्रति प्रेषित की जा रही है। विषयांकित प्रस्ताव में प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वांछित वन भूमि की स्थलीय संयक्त निरीक्षण एंव प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य प्रस्तावक विभाग,, राजस्व विभाग एंव क्षेत्रीय वनाधिकरियों /कर्मचारियों द्वारा दिनांक 31.5.2009 को किया गया। जिसमें प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में विभिन्न प्रजाति /व्यासवर्ग के कुल 913 वृक्ष प्रभावित/वाधित होने निहित थे। प्रभाग द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण में आने वाले वृक्षों की पुनः गणना करायी गयी जिसमें प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण में वर्तमान में विभिन्न प्रजाति /व्यासवर्ग के कुल 916 वृक्ष प्रभावित/वाधित होने निहित हैं। जिसमें बॉज प्रजाति के 559 वृक्ष सम्मिलित है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण का दि0 22–4–2018 को स्थलीय निरीक्षण किया गया।

क्र सं	रेंज का नाम /प्रस्तावित सड़क के समरेखण में पड़ने वाली भूमि का प्रकार	प्रजाति का नाम	व्यासवर्ग									योग
			0–10	10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	
1	जौनपुर /आरक्षित वन भूमि– कांडा कक्ष सं0–5 (कुल वाधित वृक्षों की संख्या–578)	बॉज	0	193	174	42	9	0	0	0	0	418
2	जौनपुर /आरक्षित वन भूमि– कांडा कक्ष सं0–4(कुल वाधित वृक्षों की संख्या–75)	बॉज	0	28	23	7	1	0	0	0	0	59
3	जौनपुर /आरक्षित वन भूमि– मगरा कक्ष सं0–7ए (कुल वाधित वृक्षों की संख्या–100)	बॉज	0	22	22	4	1	0	0	0	0	49

4	मसूरी वन्यजीव विहार / आरक्षित / संरक्षित वन भूमि– कोटी किमोई कक्ष सं0–11 (कुल वाधित वृक्षों की संख्या–163)	बॉंज	1	17	14	1	0	0	0	0	0	33
कुल योग–(कुल वाधित वृक्षों की संख्या–916)			**1**	**260**	**233**	**54**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**559**

प्रस्तावित मोटर मार्ग कुल लम्बाई 8.00 किमी0 का प्रथम भाग 600.00मी0 (0.42है0) मसूरी वन्यजीव विहार के संरक्षित/आरक्षित वन भूमि कोटी किमाई ब्लाक –क0सं0–11 में अवस्थित है। इस बावत् राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 39 वी. बैठक दि0 23–08–2016 की बैठक का कार्यवृत्त एंव प्रस्तावक/लो0नि0वि0 की अनुपालन आख्या प्रस्ताव के संलग्नक – 74 से 79 पर चस्पा है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नक– उक्तानुसार। (प्रस्ताव की एक प्रति)

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 377 B /दिनांकित।

प्रतिलिपि – 1. अधिशासी अभियन्ता,अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,थत्यूड़ (टिहरी गढ़वाल) को उनके पत्र सं0 373/21सी0 दिनांक 01–03–2018 के क्रम में सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. उप प्रभागीय वनाधिकारी(मसूरी) मसूरी वन प्रभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में बिना विधिवत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रश्नगत् क्षेत्र में कोई गैर वानिकी कार्य न होने दें।

3. वन क्षेत्राधिकारी, मसूरी वन्यजीव विहार एंव जौनुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में बिना विधिवत् वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रश्नगत् क्षेत्र में कोई गैर वानिकी कार्य न होने दें।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।